



4681 657/0

दिनांक 06-03-2020

સેવા સે.

प्रभागीय वनाधिकारी
वैकल्याता वन प्रभाग

विषयः—

वसन्ततः।
मा० मुख्य मंत्री घोषणा सं०- 766 / 2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र यकशीवाला के विकास खाद्य कालसी में ग्राम लखस्यार (सुनदेवीन्स रोड) से मुवागी छापी लुहरा मा० मार्ग का निर्माण। लम्बाई 4.900 किमी०

सान्त्वार्थः—
गहोदय,

EDS दिनांक 04.11.2019

किया गया है।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रस्ताव में पाई गई कमियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत

क्र. सं.	अपत्ति	निर्देश
क्र. सं.	अपत्ति	निर्देश
1	NPV calculation detail has not been uploaded at para-13 in Form A, part II. NPV calculation must be done according to filled density and Eco class at para-4 (i) in Form A, part II.	अपत्ति का निराकरण Form A, part-II में correction D.F.O. कार्यालय द्वारा किया जाना है।
2	The user agency may do necessary correction and provide V/LC proceeding for each village separately with separate sheet according to filled details in B-2,3 village wise breakup	यहाँ संशोधन तीन ग्राम पंचायती तहसीलवार, जिलाई एवं खंडों के नामों (तहसील, जिलाई, सीपीडी एवं तहसील) में होना आवश्यक है। निम्नलिखित ग्रामों के लिए 12.02.2020 को ग्राम पंचायती की सीपीडी एवं सी. निरीक्षण तहसील द्वारा प्राप्त एवं additional information details sl. no.38 पर upload कर दिया गया है।
3	Tree list in 9 in width along with land schedule has not be uploaded as additional information in para 13 form A part II. Please rectify.	यहाँ का निरीक्षण हेतु 7.0 मीटर चौड़ाई एवं 9.00 मीटर चौड़ाई में ही प्रामाणिक रूप से वनों की सूची तैयार कर upload करा दी गई है। additional information details sl. no.32 & 39 पर upload कर दिया गया है।
4	Bar chart, CA scheme and CA site suitability certificate is uploaded in para-13 form A part II.	Bar chart, CA site suitability certificate is uploaded in section L(i) Form A, part I and CA scheme is uploaded in additional information details at sl.no.33 & 34, & 29
5	Working Plan prescription detail is incorrect at Para 5 in Form A, Part II	अपत्ति का निराकरण D.F.O. कार्यालय द्वारा किया जाएगा।
6	Brief note on vulnerability of forest area to erosion is incorrect at para 6 in Form A Part II	अपत्ति का निराकरण Form A, part-II में D.F.O. कार्यालय द्वारा किया जाना है।
7	Aerial distance certificate (Please mention Nearest National park/ Wildlife sanctuary name as well as distance has been uploaded at additional information in Para-13 in Form A Part II	Aerial distance certificate is uploaded in additional information details at sl.no.4, but additional information in Para-13 in Form A Part II अपत्ति का निराकरण D.F.O. कार्यालय द्वारा किया जाना है।

इसके अतिरिक्त आवश्यक प्रश्नों को निम्नानुसार Additional information details के अन्तर्गत upload कर दिया गया।
 Form A Part II से सम्बन्धित है (जिनका निराकरण आपके द्वारा हो किया जाना है) अतः प्रस्ताव है अधिकार आपत्तियां Form A Part II में सम्बन्धित है (जिनका निराकरण आपके द्वारा हो किया जाना है) अतः प्रस्ताव है।
 ने अपना स्तर से आपत्तियों का निराकरण कर पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न-1 ग्राम पंचायतों की भीटिंग हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र

अपदीय

2. 9.00 भी0 चौडाई वृक्षों की सुधी

पत्रांक ५६८/६९१०
प्रतिलिपि:- सहायक अभि

सहायक अभियन्ता (प्रथम)/छपडीय अमीन, अस्थाई छपड लो०नि०वि० सहिया को सूचनाई प्रेषित।

दिनांक ०६-०३-२०२०

[illegible]

अधिकांसी अभियन्ता
०, लो०नि०वि०, सहिद्या

10

अधिकासी अभियन्ता
अण्डा, लोनिदि, सहिया

मुख्य प्रशासक वन प्रभाग
द्वारा

Scanned by CamScanner